

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0-6 / खा0 म0 अररिया-04 / 2015

(6) / रा0, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
प्रामाणित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :—वित्त विभाग।

विषय :— मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-31.05.2016 के मद संख्या-13 में दी गई स्वीकृति के आलोक में अररिया जिलान्तर्गत अंचल भरगामा के मौजा-जयनगर के थाना सं-93, खाता सं-467 एवं 422, खेसरा सं-3069 एवं 3067, के क्रमशः रकबा-0.38 एवं 0.22 एकड़ सहित कुल रकबा-0.60 एकड़ कोशी प्रोजेक्ट हेतु अर्जित भूमि में 33/11 के0 भी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 38,000/- (अड़तीस हजार) रु0 प्रति डिसमिल की दर से 22,80,000/- (बाईस लाख अस्ती हजार) रु0 मात्र सलामी एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत सलामी के 2 प्रतिशत लगान 45,600/- (पैतालीस हजार छ: सौ) रु0 का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य 11,40,000/- (ग्यारह लाख चालीस हजार) रु0 सहित कुल- 34,20,000/- (चौंतीस लाख बीस हजार) रु0 मात्र के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड—आर0-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा0 म0 अररिया-04 / 2015 (6) / रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-06 / 13-14 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां को उनके कार्यालय पत्रांक-654 दिनांक-09.02.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, प्रशास्त्रा-8, बिहार, पटना / राजस्व विभागीय प्रशास्त्रा-6 / गार्ड फाईल, प्रशास्त्रा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6 / खा० म० अररिया-04/2015

663

(6) / रा०, पटना-15, दिनांक- 23-6-16

प्रतिलिपि:-आईठ टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेब-साइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/6/16
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।